उत्तरांचल शासन
ऊर्जा विभाग

संख्याः 07 /I/2006–02(3)15/2004
दिनांकः देहरादूनः 21 जनवरी, 2006

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः 187/I/2005–02(3)/15/2004, दिनांकः 10 जनवरी, 2005 द्वारा निर्गत अधिसूचना, जिसके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा– 166 (4) के अधीन गठित सामन्वय मंच में अपर सचिव (ऊर्जा) को संयोजक के रुप में नामित किया गया था, को श्री राज्यपाल एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

N. Ravi Shankar
(एन0रवि शंकर)
सचिव

संख्याः 07 /I/2006–02(3)15/2004/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव–मा0 मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव–मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– मा0 अध्यक्ष, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम/उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
7– प्रबन्ध निदेशक, PTCUL/प्रभारी, SLDC.
8– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, NHPC, THDC, NTPC, NTPC Hydro ।
9– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0।
10– समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
11– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– संयुक्त निदेशक, राजकीय फोटो लिथो प्रैस, रुड़की को इस कथन के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।

आज्ञा से:
(डा0एम0सी0जोशी)
अपर सचिव